संख्या:02/2022/1567/94-1-2021-312(83)/2015 लोनी-2

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 06 जनवरी, 2022**

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-5 एवं 7 के अधीन तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद में द्वितीय उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2849/अनु0-2/परि0/शि0का0लख0/2021, दिनांक 10.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद में द्वितीय उप निबंधक कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद में द्वितीय उप निबंधक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 28.02.2022 तक के लिए, यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

क्र0	**तहसील, जहाँ उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की जानी है**	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या**
1	लोनी, जनपद गाजियाबाद	उप निबंधक	लेवल-10, रू० 56100-177500	एक
		निबंधक लिपिक	लेवल-3 रू० 21700	एक

3. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय अनुदान सं0-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा।

4. नवसृजित उप निबंधक कार्यालय लोनी-2, जनपद गाजियाबाद की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन तथा क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-9-3490-दस-2021-22, दिनांक 06.01.2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

<u>संख्या : 02/2022/1567/94-1-2021-312(83)/2015 लोनी-2 एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबंधन/उप महानिरीक्षक निबंधन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।